

संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर (छत्तीसगढ़)

नवीन आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट - एक (नियम 10)

साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ऐसे व्यक्तियों को जो कि अर्थाभावग्रस्त हो, या उनके आश्रितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए आवेदन-पत्र का निर्धारित प्रारूप

1. पूरा नाम और पता
2. कला का विधा जन्म तिथि.....
3. चिन्हारी पंजीयन क्रमांक (अनिवार्य)
4. स्थायी निवास
5. स्वयं की वर्तमान (आय और आय के अन्य साधन, यदि कोई हो)
6. तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
7. अन्य विभाग से प्राप्त पेंशन की जानकारी
8. आवेदक पर पूर्णतया आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या,
उनसे संबंध, उम्र, व्यवस्था और आय के साधन के ब्यौरे -

नाम	आयु	संबंध	व्यवसाय	आय और आय के साधन
1	2	3	4	5

9. स्वयं की पत्नी/पति बच्चों या
आश्रितों के नाम पर होने वाली
अचल सम्पत्ति कहां स्थित है,
उसका क्षेत्रफल और मूल्य तथा
उससे होने वाली आय
10. स्वयं की आश्रितों की तथा अचल
सम्पत्ति ये होने वाली कुल आय
(क्र. 5, 8 तथा 9 का योग)

11. लेखक या कलाकार द्वारा साहित्य
अथवा कला के क्षेत्र में किये गये
महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण एवं कुल वर्ष
12. लेखक या कलाकार को शासन या
किसी प्रमुख साहित्यिक अथवा कला
संस्था से प्राप्त किसी मान्यता या
सम्मान के ब्यौरे
13. राशन कार्ड नं. (छायाप्रति) :.....
14. जन्मतिथि (जन्म प्रमाण पत्र) :.....
15. बैंक का खाता (केवल भारतीय स्टेट बैंक) संख्या.....
16. शाखा का नाम आईएफएससी नं.....
17. पेन कार्ड आधार नं.....
18. अन्य संगत जानकारी यदि कोई हो
19. संपर्क हेतु परिवार के अधिकतम 03 सदस्यों के मोबाईल नं.:.....
.....

.....

हस्ताक्षर

टीप :-

1. लेखकों/कलाकारों के आवेदन पत्रों के साथ उनकी कृतियों, यदि उपलब्ध हो, अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिये।
2. नियमानुसार आवेदक का आयु 60 या 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
3. उपरोक्त प्रारूप में दर्शायी गई वांछित जानकारियों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आवेदन संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।
5. अपूर्ण/अधूरे आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।